न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 121/17

1. राजबिहारी पुत्र बृजमोहन
2. महेन्द्र पुत्र बृजमोहन
3. राजन्ति पत्नि बृजमोहन सभी जातियान मीना निवासीयान ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र बजरंगा
2. सीताराम पुत्र बजरंगा
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र बजरंगा
4. ओमप्रकाश पुत्र शिवजीराम
5. कैलाश पुत्र शिवजीराम सभी जातियान मीना निवासीयान खिरनी तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
6. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील मलारना डूँगर
7. शाखा प्रबंधक बैक आफ बडोदा शाखा खिरनी।

रेस्पोडेटान

(अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर मु0न0 11/11 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.8.17)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री आबिद अली
2. रेस्पोडेन्ट 1 से 3 की ओर से श्री हरिमोहन जाट

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

निर्णय दिनांक 18.3.2020

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मु0न0 11/11 निर्णय व डिग्री दिनांक 29.8.17 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी ने एक वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा ,रास्ता खुलासा करने व निर्माण ध्वस्त करने इस आशय का पेश किया कि वादी संख्या 1 व 2 के पिता व वादिया संख्या 3 के पति बृजमोहन आराजी ख0न0 7580 मे 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वादीगण के पिता/पति बृजमोहन की मृत्यु दिनांक 9.3.11 को हो चुकी है। वादीगण उनके जायज वारिसान है। मृतक बृजमोहन एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 खास भाई है। इनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 7580 रकबा 0.09 है0 किस्म गैर मुमकिन बाडा ग्राम खिरनी मे स्थित है। उक्त वाडे का विभाजन वादीगण के पिता वृजमोहन एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के मध्य ... साल पहले हो चुका था। उक्त बाडे का निकास जो हम वादीगण के ... या है हमेशा से दक्षिण की तरफ जो आम रास्ता ख0न0 7431 दर्शाया हुआ है, मे निकलता है। वादीगण के हिस्से की सीमाओ मे उत्तर मे रामनिवास मीना का ..., पूर्व मे प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का 2/3 हिस्सा तथा ख0न0 7580 , पश्चिम मे रामलाल मीना व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का बाडा एवं दक्षिण मे रास्ता आम ख0न0 7431 सी.सी.रोड । उक्त रास्ते मे 14 फीट चौडाई मे सी.सी.रोड बन गया है तथा सी.सी.रोड एवं वादीगण के वाडे के बीच लगभग 15 फीट जमीन बचती है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने दिनांक 24.4.11 को एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:59:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बेजा हरकत की और वादीगण के निकलने के रास्ते को बन्द करने के आशय से नीव खोदना शुरू कर दिया। वादीगण ने नीव खोदने एवं निर्माण करने पर मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने धमकी दी कि हम तो नीव खोदकर पुख्ता निर्माण करेगे तुमको जो करना है वो करो। वादीगण द्वारा 2 फीट ऊची दीवार का निर्माण कर लिया। यही वाद कारण होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई कि प्रतिवादीगण को इस अमर की घोषणा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा आम रास्ता मे निर्माण नही करे तथा किये गये निर्माण को ध्वस्त किया जाकर उससे बेदखल किया जाकर रास्ता पुनः खुलासा कराया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांटान के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर गौर नही किया गया है एवं ना ही अपीलांट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर गौर नही कर अहम भूल की है। अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी सम्वत 2063 प्रदर्श 2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3 पेश किये है। जिससे अपीलांटान का उक्त भूमि पर काबिज होना एवं बंटवारे मे उक्त भूमि को अपीलांटान के पिता व उसके पश्चात अपीलांटान के कब्जे काश्त मे होने का तथ्य रिकार्ड पर आ जाने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। अपीलांटान की ओर से पेश की गई साक्ष्य मे यह बात स्पष्ट रूप से रिकार्ड पर आई है कि उक्त विवादित भूमि मे से होकर ही अपीलांटान का रास्ता है। क्योकि अपीलांटान की उक्त भूमि पर रेस्पो0 सख्या 1 ता 3 द्वारा नजरी नक्शे मे दिखाई गई सीमाओ मे अन्दर ही अतिक्रमण कर लिया है तथा अपीलांटान के आवागमन के रास्ते मे अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्व करना चाहते है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। वाद पत्र मे वर्णित की गई तनकी संख्या 6 पर गौर करने से यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है कि अपीलांटान का बाडा पूर्वजो के समय से ही अस्तित्व मे था जिस पर आज भी अपीलांटान का वैध कब्जा एवं अधिकार है। जिससे स्पष्ट रूप से साबित है कि रेस्पो0 द्वारा अपीलांटान को परेशान करके रास्ता बंद करने का सुनियोजित प्लान बना लिया है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। अपीलांट द्वारा अपने सम्पूर्ण दावे मे कहा गया कि आम रास्ता ख0न0 7431 व प्रार्थी अपीलांट के हिस्से के बाडे के मध्य 15 फीट जमीन बचती है जो अब रास्ते के काम आ रही है। इसे अब प्रतिवादीगण ने बन्द कर दिया है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। अपीलांट संख्या 1 बीमारी से ग्रसित होने तथा देसी ईलाज करवाने बाहर चला जा[illegible] फिरने से मजबूर रहा है। महेन्द्र पढाई करता है और जयपुर मे आगे [illegible] रहता है एवं राजन्ती एक गांव की अनपढ महिला होने के कारण आलोच्य आदेश की जानकारी नही होने एवं दिनांक 15.11.17 को वकील द्वारा सूचित किये जाने पर जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील देरी से पेश करना प्रार्थी की मजबूरी रही है। फिर भी अलग से प्रार्थना पत्र संलग्न किया जा रहा है। अतःअपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार मानी जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:59:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेटान संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे कथन किया कि ख0न0 7580 अपीलांट एवं रेस्पो0 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नही रही है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नक्शे मे काश्त करना नही बताया है और नक्शे मे पूरव–पश्चिम–उत्तर–दक्षिण कितने कितने फीट भूमि है यह नही दर्शाया गया है। यह भी नही दर्शाया गया है कि ख0न0 7580 का कुल रकबा कितना है और राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस मे उसकी तरमीम हुई है या नही। बिना तरमीम, बिना नक्शा के व बिना मौका रिपोर्ट के ख0न0 7580 का रकबा 0.09 है0 निश्चित नही किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नक्शा गलत पेश किया है। अपीलांट द्वारा अर्सा करीब 20 वर्ष पहले बंटवारा होने का कथन भी गलत किया गया है। इसी प्रकार अपीलांट का यह कथन भी गलत है कि उनका निकास दक्षिण की तरफ आम रास्ता मे है। अपीलांट ने दक्षिण मे सीमाऐ गलत दर्ज की है। दक्षिण की ओर आम रास्ता नही है रेस्पो0 1 लगायत 3 की कब्जा शुदा भूमि है। जिसमे छायादार पेड लगा रखे है व पत्थर डाल रखे है इस पर हमारा करीब 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा लगातार चला आ रहा है। उक्त बाडे का रास्ता शुरू से ही पूरब की और था जिसमे अब से लगभग 20 वर्ष पूर्व अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 4 व 5 के पिता शिवजीराम भूतपूर्व सरपंच, खिरनी के समय से विवाद हुआ था तो उन्होने इस बाडे का एक मात्र रास्ता रखा जो पूर्वी दक्षिणी कोने पर था। वही रास्ता वर्तमान मे भी मौजूद है। अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 4 व 5 के बीच कोई विधिवत बंटवारा नही हुआ है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र मे बंटवारे की इबारत गलत दर्ज की गई है। अपीलांट द्वारा विवाद का जो कारण वाद पत्र मे अंकित किया है वह गलत दर्ज किया है। दिनांक 4.5.11 को उक्त बाडे के चारो तरफ पुख्ता दीवार बनाने के उद्वेश्य से लगभग 20 फीट भूमि दबाते हुए मार्क आई–जे नीव खोद ली व उसे भरना शुरू कर दिया जबकि उक्त आई–जे मार्क दीवार तो पहले से ही बनी हुई है। जिसमे पेड लगे हुए है। अपीलांट/वादी एंव प्रतिवादी/रेस्पो0 4 व 5 ने कोई अलग अलग बाडा नही बना रखा है। मौके पर एक ही बाडा है जिसका रास्ता पूर्वी दक्षिणी कोने पर आज से करीब 20 वर्ष पूर्व से मौजूद है। अपीलांट/वादीगण अवैधानिक रूप से अनाधिकृत दक्षिण की ओर नया दरवाजा रेस्पो0 की भूमि मे से होकर निकलाना चाहता है जिसका उनको कोई अधिकार नही है। रेस्पो0 द्वारा निर्मित पुरानी दीवार का ध्वस्त कराने का वादीगण/अपीलांटान को कोई अधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के बाबत वादीगण/अपीलांटान एवं प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के हिस्से तनकीयात कायम की जाकर ही प्रत्येक तनकी का पूर्ण रूप से विवेचन करने के पश्चात ही अपीलांधीन निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस व तर्को पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2063 वाके ग्राम खिरनी के खतौनी संख्या 396 के अनुसार ख0न0 7580 रकबा 0.09 है0 का अंकन बृजमोहन,कैलाश चंद पिस[illegible] हिस्सा 2/3 बिला रहन ओमप्रकाश पुत्र शिवराम राहिन बैंक आफ बडोदा शाखा [illegible] हिस्सा 1/3 जाति मीना साकिन देह के नाम है। खसरा न0 7431 किस्म [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध नकल नक्शा ट्रेस खिरनी के अनुसार ख0न0 7580 व ख0न0 7431 की सीमा एक ही है। अपीलाधीन निर्णय मे राजस्व रिकार्ड मे अंकित रास्ते भूमि ख0न0 7431 के संबंध मे किसी प्रकार की विवेचना नही की गई है। रास्ते के संबंध मे संबंधित तहसीलदार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:59:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट प्राप्त नही की गई है। इस प्रकार संबंधित तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट ली जाकर पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य/ सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मु0न0 11/11 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.8.17 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रास्ता के संबंध मे तहसीलदार मलारना डूँगर से वस्तुस्थिति की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के यहॉ दिनांक 15.4.2020 को उपस्थित होवे।

अतः अपील निर्णय आज दिनांक 18.3.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.3.20

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 15:59:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner